Ad. 3
10
25/1/91

(2)

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर

क्रमांक व-15(42)पुलिस-प्रशासन-ए/90/126 दिनांक 25 जनवरी 91

स्थाई आदेश संख्या 2/91

जिला पुलिस/राजस्थान सशस्त्र बल एवं अन्य पुलिस इकाईयों में नियमित परेड के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ है कि यह कार्य उपयुक्त रूप से सम्पादित नहीं किया जा रहा है। अनुशासन, परिकुशलता एवं शारीरिक उपयुक्तता की दृष्टि से पी0टी0 एवं परेड निर्धारित नियमों के अनुरूप विधिवत कराया जाना परम आवश्यक है। यह कार्य ना सिर्फ पुलिस/आर ए सी लाइनों में ही कराया जाना चाहिये बल्कि सभी थानों एवं आर0ए0सी0 पोस्टों पर भी इस कार्य को निर्धारित तरीके से सप्ताह में कम से कम 2 दिन (सोमवार एवं शुक्रवार) कराया जाना चाहिये।

उक्त परिपेक्ष्य में पूर्व में प्रसारित स्थाई आदेश संख्या 1/86 के द्वारा समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये थे। इस कार्य के सुव्यवस्थित सम्पादन हेतु स्थाई आदेश संख्या 1/86 को निरस्त करते हुए निर्देश दिये जाते है कि :-

(1) प्रत्येक जिला पुलिस लाइन/यूनिट/आर ए सी पोस्ट में जवानों एवं अधिकारियों की नियमित परेड एवं पी.टी. गुरुवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस को आयोजित की जावे।

(2) जिला मुख्यालय के पुलिस कार्यालयों, पुलिस थाना/पुलिस चौकी/यूनिट/पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मीगण प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को नियमित क्रम से पी.टी. तथा परेड में सम्मिलित होवें।

(3) जिला मुख्यालय से दूरस्थ प्रत्येक थानाधिकारी अपने अधीनस्थ उपस्थित पुलिस कर्मियों को प्रति दिन प्रातःकाल व्यायाम व पी.टी. आदि करायेंगे। इस कार्य का तथा सोमवार/शुक्रवार की आयोजित परेड के सम्बन्ध में थाने के रोजनामचे में इन्द्राज करेंगे।

(4) प्रत्येक वृत्ताधिकारी/उप पुलिस अधीक्षक अपने मुख्यालय पर थाने/ अन्य पुलिस व स्वयं के कार्यालय/चौकी पर उपस्थित

पुलिस कर्मियों की सोमवार/शुक्रवार को पी.टी. व परेड सुनिश्चित करायेंगे तथा इसका इन्द्राज अपनी वर्किंग डायरी में करेंगे । उक्त दिवसों पर वृत्ताधिकारी राज्य कार्यवश मुख्यालय बाहर अन्य थाना केन्द्र पर उपस्थित होने पर सम्बन्धित थाना स्टाफ आयोजित परेड का निरीक्षण करेंगे तथा इसका उल्लेख अपनी वर्किंग डायरी में करेंगे ।

§5§ मुख्यालय पर नियुक्त समस्त सहायक उप निरीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक पद के अधिकारी प्रत्येक सप्ताह में एक बार निश्चित क्रम से सोमवार/शुक्रवार को अनिवार्य रूप से पुलिस लाइन में परेड एवं पी.टी. में सम्मिलित होंगे ।

§6§ जिलों में समस्त पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं शुक्रवार को पुलिस लाइन में आयोजित परेड में सम्मिलित होंगे । जब कभी ये अधिकारीगण उक्त दिवस पर पुलिस थाने पर कैम्प कर रहे हों तो वहां पर थाने के कर्मचारियों की परेड व पी.टी. का निरीक्षण करेंगे तथा इसका इन्द्राज अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में करेंगे ।

§7§ रेन्ज मुख्यालयों पर सम्बन्धित उप महानिरीक्षक पुलिस सप्ताह में दो दिन § सोमवार एवं शुक्रवार§ को पुलिस लाइन में होने वाली परेड में सम्मिलित होंगे एवं इस बात का इन्द्राज अपनी कार्यदैनन्दनी में करेंगे ।

§8§ इसकी पालना इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 15 दिनांक 5-1-91 से निर्दिष्ट अधिकारी,उप महानिरीक्षक पुलिस एवं पुलिस अधीक्षक अपने दौरे के समय देखेंगे ।

अतः समस्त रेन्ज उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्टस से अपेक्षा की जाती है कि वे परेड के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का पूर्णतया दृढता से पालन करावें तथा सुनिश्चित करें कि पी.टी. व परेड नियमित रूप से होती है तथा स्वयं भी परेड में सम्मिलित होवें । उपरोक्त अधिकारी परेड में पाई गई कमियों/त्रुटियों को दूर करने के लिये उचित कार्यवाही करेंगे एवं जिन कर्मचारियों/अधिकारियों का पी.टी./परेड का स्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता उनके स्तर में सुधार लाने के लिये उचित कदम उठायेंगे । इस कार्य में रुचि नहीं लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही भी करेंगे । परेड/पी.टी. के दौरान

यदि किसी कर्मचारी /अधिकारी को शारीरिक रूप से शिथिल देखा जावे तो उस अधिकारी/कर्मचारी को तुरन्त निर्दिष्ट किया जावेगा कि वे अपनी शारीरिक/स्वास्थ्य पर ध्यान दे ताकि वह अपनी ड्यूटि उच्चतम स्तर पर प्रदर्शित कर सकें। इस क्रम के आदेशों में प्रगति देखने का उत्तरदायित्व भी इंगित किया जावे।

उपरोक्त विषय में सम्बन्धित उप महानिरीक्षक पुलिस /जिला पुलिस अधीक्षक /गण समादेष्ठा हर महिने के प्रथम सप्ताह में गत महिने में हुई परेड आदि की तालिका महानिरीक्षक पुलिस (प्रशासन) राजस्थान जयपुर को भेजेंगे एवं इसमें जो अधिकारी परेड में सम्मलित हुवे अथवा पूर्व महिने में जितनी बार परेड/पी.टी हुई उसका विवरण दिया जावेगा। साथ ही जो अधिकारीगण परेड में सम्मलित नहीं हुवे उनके सम्मलित नहीं होने के कारणों सहित इन्द्राज किया जावेगा।

(राजेन्द्र शेखर)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग/सुरक्षा राजस्थान,जयपुर
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस मय निदेशक राज0पुलिस अकादमी जयपुर
3. निदेशक पुलिस दूर संचार/एस सी आर बी/एफ एस एल राज0जयपुर
4. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान
5. समस्त सहायक महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान
6. समस्त पुलिस अधीक्षक मय जी आर पी अजमेर , प्रधानाचार्य आर पी टी सी
7. पुलिस अधीक्षक केन्द्रिय भंडार पु0मु0 जयपुर
8. समस्त कमान्डेन्ट आर ए सी/मय आई आर /पी टी एस/एम बी सी/ एस टी एस/

महानिरीक्षक पुलिस (प्रशासन)
राजस्थान,जयपुर ।